न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 77 / 2021(2021 / 328)

राधाकिशोर पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकडी जिला ----प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार केकडी जिला अजमेर ---- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

आदेश

दिनांक

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प प्रान्हेडा तहसील केकडी जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया उक्त वाद वर्णित आराजीयात वाके ग्राम प्रान्हेडा की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या नया पुराना 704–768 के खसरा नम्बर 6065/2405 रकबा 9.43 है. किस्म चाही 2 दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी दिनांक 25.6.2021 को काश्त करने गया तो पडोसियों ने सीमाचिन्ह नहीं होने से धमकी दी कि यहा तक हमारा खेत है सीमाचिन्ह के अभाव में हमारे खेत में काश्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की की स्थाई पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अतः वकील पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी करने नें आपत्ति नहीं है। पत्थरगढी करने से राजहित प्रभावित नही होना बताया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी वाके ग्राम प्रान्हेडा की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या नया पुराना 704–768 के खसरा नम्बर 6065/2405 रकबा 9.43 है. किस्म चाही 2 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 10.12..2021 को केम्प प्रान्हेडा मजमे आम मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:44:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 77/2021(2021/328)

राधाकिशन पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकडी जिला

---प्रार्थी

◆ बनाम ◆

राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

आदेश

दिनांक

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प प्रान्हेडा तहसील केकडी जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त वाद वर्णित आराजीयात वाके ग्राम प्रान्हेडा की जमाबन्दी संवत 2069-72 के खाता संख्या नया पुराना 704-768 के खसरा नम्बर 6095/2405 रकबा 0.41 है. किस्म चाही 2 दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी दिनांक 25.6.2021 को काश्त करने गया तो पडोसियों ने सीमाचिन्ह नहीं होने से धमकी दी कि यहा तक हमारा खेत है सीमाचिन्ह के अभाव में हमारे खेत में काश्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की की स्थाई पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अतः वकील पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी करने में आपत्ति नहीं है। पत्थरगढी करने से राजहित प्रभावित नही होना बताया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी वाके ग्राम प्रान्हेडा की जमाबन्दी संवत 2069-72 के खाता संख्या नया पुराना 704-768 के खसरा नम्बर 6095/2405 रकबा 0.41 है. किस्म चाही 2 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 10.12.2021 को केम्प प्रान्हेडा मजमे आम मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:44:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner